

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी(रा०) पोड़ी उपरोड़ा जिला-कोरबा (छ०ग०)

क्रमांक / 1278 / अ.वि.अ. / वाचक / 2025

पोड़ी उपरोड़ा, दिनांक 16/06/2025

प्ररूप - ड.
{नियम 7 (2) देखिये}
अनुशंसा

प्रति,

श्री विशेषर विश्वकर्मा पिता बहोरन राम
निवासी बिझरा
तहसील पोड़ी उपरोड़ा जिला-कोरबा(छ.ग.)

विषय:- वृक्ष कटाई हेतु अनुशंसा।

—00—

विषयान्तर्गत आपका आवेदन दिनांक 27/12/2024 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। राजस्व विभाग एवं वन विभाग के संयुक्त निरीक्षण हेतु ज्ञापन दिनांक 03/04/2025 को जारी किया गया। संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 05/05/2025 को प्राप्त हुआ। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर कटाई हेतु आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार है:- 70 नग सागौन वृक्ष।

अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि खसरा नंबर 569/1 शा.न. 569/3 ग्राम बिझरा प.ह.न. 40 तहसील पोड़ी उपरोड़ा जिला-कोरबा(छ.ग.) स्थित वृक्ष जिनकी प्रजाति सागौन वृक्ष एवं संख्या (क्रमशः) 70 नग है को काटे जाने पर संहिता के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुशंसा अभिव्यक्त की जाती है।

छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 (क्र.9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुशंसा शून्य होगी।

यह अनुशंसा आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।



पृ. क्रमांक / 1279 / अ.वि.अ. / वाचक / 2025
प्रतिलिपि:-


अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)
पोड़ी उपरोड़ा जिला-कोरबा (छ.ग.)
पोड़ी उपरोड़ा, दिनांक 16/06/2025

01. कलेक्टर महोदय, जिला कोरबा(छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
02. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल कटघोरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
03. तहसीलदार, पोड़ी उपरोड़ा को वृक्ष कटाई पश्चात् राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु पालनार्थ प्रेषित।
04. वन परिक्षेत्र अधिकारी, वन परिक्षेत्र जटगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)
पोड़ी उपरोड़ा जिला-कोरबा (छ.ग.)